भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2112

दिनांक 12.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

महाराष्ट्र में जल जीवन मिशन

2112. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदेः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) यह देखते हुए कि महाराष्ट्र ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत कथित तौर पर 5,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, तथापि उक्त राज्य के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई कुल निधि कितनी है,
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान कुप्रबंधन, लंबित निष्पादन अथवा गुणवत्ता संबंधी मुद्दों सहित अनियमितताओं के संबंध में महाराष्ट्र से प्राप्त आधिकारिक शिकायतों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने वास्तविक प्रगति, जल गुणवत्ता और अवसंरचना के रखरखाव के संबंध में पेश की गई चिंताओं के आलोक में जेजेएम आईएमआईएस पोर्टल पर राज्यों द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों की सटीकता का सत्यापन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यों की समयबद्ध पूर्णता, आंकड़ों के समुचित सत्यापन, जल आपूर्ति की गुणवत्ता और स्वच्छता प्रोत्साहनों के संवितरण को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हेतु प्रस्तावित हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (घ): पेयजल राज्य का विषय है। पेयजल आपूर्ति स्कीमों/परियोजनाओं की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन और कार्यान्वयन का अधिकार राज्य सरकार के पास है। भारत सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी में प्रत्येक ग्रामीण परिवार में नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए अगस्त, 2019 से जल जीवन मिशन को कार्यान्वित कर रही है। जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को

उनकी पेयजल आपूर्ति योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय, नीतिगत मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

इसके अलावा, समस्याओं/शिकायतों आदि का निपटान करने से संबंधित अधिकार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पास हैं और इन्हें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर निपटाया जाता है। तदनुसार, इस विभाग में पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक, *अन्य बातों के साथ-साथ,* इस योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं, भ्रष्टाचार के मामलों और निधियों के दुरुपयोग सहित प्राप्त सभी शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई हेतु महाराष्ट्र सहित संबंधित राज्य सरकारों को प्रेषित कर दिया है।

जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत आवंटित, जारी और महाराष्ट्र राज्य द्वारा उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	केंद्रीय हिस्सा					राज्य के हिस्से के तहत व्यय
	अथ शेष	बजट आवंटन	राज्य द्वारा आहरित निधि	कुल उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
2019-20	248.12	847.97	345.28	593.40	308.04	431.79
2020-21	285.35	1828.92	457.23	742.58	473.59	324.56
2021-22	268.99	7,064.41	1,666.64	1,935.63	377.98	477.98
2022-23	1,557.65	7,831.25	3,915.62	5,473.27	3,109.53	2,972.21
2023-24	2,363.74	21,465.88	7,444.26	9,808.00	8,208.53	8,371.34
2024-25	1,599.47	5,352.93	1,605.88	3,205.35	2,235.12	3,150.59
2025-26	970.22	-	-	970.22	-	971.94

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

मिशन को अनुमोदित दिशानिर्देशों और मौजूदा वित्तीय नियमों के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही तथा सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। भारत सरकार ने महाराष्ट्र सहित पूरे देश में जेजेएम की आयोजना और कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ वार्षिक कार्य

योजनाओं (एएपी) को अंतिम रूप देना और संयुक्त विचार-विमर्श, कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा, क्षमता निर्माण और ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए कार्यशालाओं/सम्मेलनों/वेबिनारों का आयोजन तथा तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-विषयक टीमों द्वारा क्षेत्र दौरे शामिल हैं।

वास्तविक समय पर आधारित और पारदर्शी निगरानी के लिए, जेजेएम-एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) और जेजेएम-डैशबोर्ड विकसित किए गए हैं, जिसके तहत राज्य, जिला और पंचायत स्तर पर मिशन की प्रगति की जानकारी पब्लिक डोमेन में प्रदान की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल गुणवत्ता के लिए पानी के नमूनों का परीक्षण करने और पेयजल स्रोतों के नमूना संग्रह, रिपोर्टिंग, निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए, एक ऑनलाइन जेजेएम-जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल विकसित किया गया है। सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से पारदर्शी ऑनलाइन वित्तीय प्रबंधन का भी प्रावधान किया गया है।

जल राज्य का विषय होने के कारण, मिशन के अंतर्गत परिकल्पित विभिन्न निगरानी तंत्रों के माध्यम से सूचित आंकड़ों और वास्तविक प्रगति में यदि कोई विसंगतियां पाई जाती हैं, तो तत्काल अपेक्षित सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ ऐसे मामलों पर चर्चा की जाती है।

*****